

भारत और ताज़किस्तान (MoU between India and Tajikistan)

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवा मामलों में सहयोग के लिये भारत और ताज़किस्तान (Tajikistan) के बीच समझौता-जज़ापन को मंजूरी दे दी है।

- यह समझौता-जज़ापन 5 वर्ष की अवधि के लिये वैध होगा।
- युवा मामलों में सहयोग के क्षेत्रों में युवाओं, युवा संगठनों के प्रतिनिधियों और युवा नीति निर्माण में संलग्न सरकारी अधिकारियों के आदान-प्रदान सहित दोनों देशों में युवा मामलों पर आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों के लिये नमिंतरण, मुद्रति सामग्रियों, फलिमों, अनुभवों, युवा मामलों पर शोध एवं अन्य सूचनाओं के आदान-प्रदान, युवा कैपों, युवा उत्सवों और दोनों देशों में आयोजित होने वाले अन्य युवा कार्यक्रम शामिल हैं।
- इनके अलावा दोनों देशों के नियमों के अनुरूप संयुक्त रूप से स्वीकृत युवा मामलों पर सहयोगी गतिविधियाँ भी इसके दायरे में रखी गई हैं।
- समझौता-जज़ापन का उद्देश्य ताज़किस्तान के साथ युवा मामलों पर सहयोग को प्रोत्साहित करना और उसे मज़बूत बनाना है।

लाभ:

- इस समझौते से युवा मामलों के क्षेत्र में आदान-प्रदान कार्यक्रमों के लिये सुविधा होगी, जिससे युवाओं में विचारों, मूल्यों और संस्कृति के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी तथा भारत और ताज़किस्तान के बीच दोस्ताना रिश्ते मज़बूत होंगे।
- दोनों देशों के बीच इस तरह के द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रमों से जो लाभ होंगे, उनसे जाति, धर्म और लिंग से इतर सभी युवाओं को समान रूप से लाभ मिलेगा।
- इससे युवाओं में अंतरराष्ट्रीय समझ विकसित होगी और वे युवा मामलों के क्षेत्र में अपने ज्ञान और विशेषता को बढ़ा सकेंगे।

स्रोत : पी.आई.बी.